



DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
1st and 2nd FLOOR, VIKAS BHAWAN – II, CIVIL LINES, DELHI-110054
visit us at : <http://dpcc.delhigovt.nic.in> Ph Nos. 23815352, 23815436

PUBLIC NOTICE


Attention: Vehicle dismantling units in Mayapuri Indl. Area, Delhi

Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 23.10.2018 in OA No. 807/2018 in News item published in "The Times of India" Authored by Paras Singh titled "Ignoring NGT orders, Mayapuri, 'graveyard' spews toxic fumes" and directed the agencies to take necessary steps of stopping illegal industrial activity resulting in toxic fumes. The illegal industrial activities comprise dismantling equipment, burning of toxic industrial waste and use of gas/electric cutting of vehicles. The Special Task Force (STF) has been constituted to take steps for stopping illegal activities and initiate proceedings against those identified being involved in contributing to pollution.

In pursuant to the above order of Hon'ble National Green Tribunal (NGT), all the units/occupiers/people are hereby directed to stop the said activity with immediate effect failing which action for closure/stoppage of power supply/water supply/sealing will be initiated by DPCC, South MCD, Delhi Police, Revenue department, DDA, DJB, DISCOMS under the appropriate Acts / Rules without any further notice to the violators.


(S.M. Ali)

Spl. Secretary (Env.)



दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रथम और दूसरा तल, विकास भवन -II,
सिविल लाइन्स, दिल्ली -110054.

हमें यहां देखें: <http://dpcc.delhigovt.nic.in> दूरभाष नं. 23815352, 23815436

सार्वजनिक सूचना

ध्यान दें: मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में वाहन विघटित करने वाली इकाइयाँ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 23.10.2018 को OA No. 807/2018 में "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार में पारस सिंह द्वारा प्रकाशित शीर्षक "एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, मायापुरी, 'कब्रिस्तान' जहरीले धुएं" की अनदेखी की और गैरकानूनी औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एजेंसियों को निर्देशित किया, जिसके परिणामस्वरूप जहरीले धुएं का उत्पादन हुआ। अवैध औद्योगिक गतिविधियों में विघटित करने वाले उपकरण, जहरीले औद्योगिक अपशिष्ट जलाने और वाहनों के गैस / बिजली काटने का उपयोग शामिल है। इस सन्दर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने और प्रदूषण में योगदान करने में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, सभी इकाइयों / व्यवसायियों / लोगों को तत्काल प्रभाव से उक्त गतिविधि को रोकने के लिए निर्देशित किया जाता है, ऐसा न करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा जैसे डीपीसीसी, साउथ एमसीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, डीडीए, डीजेबी, DISCOMS द्वारा बिजली आपूर्ति बंद करना / जल आपूर्ति बंद करना / इकाइयों को सीलिंग करने के सन्दर्भ में उचित अधिनियमों / नियमों के तहत बिना किसी अग्रिम नोटिस के कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(एस. एम. अली)
सदस्य सचिव